सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-09.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० श्री दामोदर रावत, स०वि०स० श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स० श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स०	''बिहार राज्य में पूर्व में यह प्रावधान था कि किसी व्यक्ति की आपदा मृत्योपरान्त राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के (कुल 20,000/- रुपये) सुलभ एवं त्वरित भुगतान हेतु अनुमंडल पदाधिकारी प्राधिकृत थे, लेकिन वर्त्तमान में इसका भुगतान जिला स्तर से होने के कारण समय पर लाभुक को इसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है जिससे लाभान्वितों को काफी कठिनाई हो रही है । अतः पूर्व की भाँति अनुमंडल स्तर से ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का भुगतान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	समाज कल्याण

2. श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स०	"बिहार विधान सभा के वैसे माननीय सदस्य जो संवैधानिक पदों, यथा-बिहार सरकार के मंत्री, विधान सभा के पीठासीन पदाधिकारी, सत्तापक्ष के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक, विरोधी दल आदि पदों पर आसीन होते हैं । जनप्रतिनिधि होने के कारण स्थानीय स्तर पर इन सभी महानुभावों को विकास संबंधी गतिविधियों से जुड़े विभिन्न समितियों, यथा-नगर परिषद् / नगर पंचायत / 20 सूची कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति / अनुश्रवण समिति / आपदा प्रबंधन समिति / ग्रामीण विकास से संबंधी समिति / विद्यालय प्रबंध समितियों के बैठक में भी सदस्य होने के नाते बैठक में भाग लेना पड़ता है । अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के क्रम में और प्रोटोकॉल की बाधा के कारण प्राय: ये महानुभाव उक्त बैठक में भाग नहीं ले पाते हैं । इनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को इन समितियों की बैठकों में भाग लेने का प्रावधान नहीं है, जिसके कारण इनके प्रतिनिधि भी इसकी बैठक में भाग नहीं ले पाते हैं, जिससे विकास प्रभावित होता है । अत: अत्यंत लोकहित में उपर्युक्त वर्णित महानुभावों के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को इन समितियों की बैठकों में भाग लेने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	मंत्रिमंडल सचिवालय / सामान्य प्रशासन विभाग

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2022-1103 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2022- 1103 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2022- 1103 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2022- 1103 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

8.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

8/3/22